

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०- ४२/२२-२३

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर के पत्रांक- 426, दिनांक- 18.05.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक प्राण मांझी, पिता- स्व० जुगल मांझी, साकिम- शीतलपुर, पो०- धड़बड़, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- शीतलपुर, मौजा नं०- 185, पुराना खाता नं०- 76, पुराना प्लॉट नं०- 1106, 1108, नया खाता नं०- 51, नया प्लॉट सं०- 317, रकवा- 08 डिसमील भूमि क्रेता लक्ष्मी मुर्मू पति- राम मुर्मू साकिम- नियर के०के० स्कूल वस्ती रांगामाटी, पो०- सिन्दरी, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के संथाल हैं तथा विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, विक्री के पश्चात् आवेदक के पास 07 एकड़ 39 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन विक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।